23/05/22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी
उपस्थित। वकील वादी विपक्षीगण के
सफल सर्विस डाक द्वारा होने का
एक और तर्क रखते हैं। पत्रावली
का अवलोकन किया गया।
वकील वादी द्वारा 5/1/21 को उक्त
प्रकरण न्यायालय में पेश कर
एक तरफा निषेधाज्ञा विरुद्ध विपक्षीगण
प्राप्त की गई थी। निषेधाज्ञा आदेश
में वकील वादीगण को स्पष्ट निर्देश
है कि विपक्षीगण के समन रजि. डाक
द्वारा पेश करें। कई बार दैनिक आदेश
[illegible] व [illegible] ता. पेशी तक
विपक्षीगण की तलबी पूर्ण कराने के
निर्देश के बावजूद भी वकील
वादी द्वारा विपक्षीगण की तलबी पूर्ण
नहीं करवाई गई है। प्रस्तुत राजस्व
रेकार्ड अनुसार वादी व विपक्षीगण
रेकार्ड में खातेदार हैं। ऐसी स्थिति
में विरुद्ध विपक्षीगण निषेधाज्ञा जारी
रखना न्यायालय [illegible] [illegible]
है। वादी/[illegible] [illegible] के
[illegible] का [illegible] [illegible]
[illegible] होना है अतः सहखातेदार
के विरुद्ध [illegible] न्यायालय द्वारा

[signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:28 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय,
गुडामालानी जिला बाडमेर ।

प्रार्थी :–

1. सुरताराम पुत्र श्री जेहाराम उम्र 65 वर्ष
   कौम जाट साकिन हेमनगर तहसील गुडामालानी

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. भीखाराम पुत्र श्री जेहाराम उम्र 60 वर्ष
2. अचलाराम पुत्र जेहाराम उम्र 46 वर्ष
3. नेनु पत्नी जेहाराम फौत के कायम मुकाम ~~वादी~~ प्रार्थी व ~~प्रतिवादी~~ विप्रार्थी संख्या 1 , 2
   जाति जाट निवासी हेमनगर तहसील गुडामालानी
4. शाखा प्रबन्धंक बी सी सी बी शाखा नौखडा
5. शाखा प्रबंधक एस बी आई गुडामालानी
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडमालानी
7. राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी आर जी टी नगर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 रा0 का0 अधिनियम 1955

महोदयजी ,

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार है कि :–

1. कि प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 , 88 , 188 रा0 का0 अ0 का पेश किया है जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है तथा प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति तीनो की बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:28 IST
Reason: SelfAttested

2. कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी के खेत जिला बाडमेर तहसील गुडामालानी पटवार मण्डल मालपुरा के ग्राम हेमनगर के खेत खसरा नम्बर 149/3, 150/4 रकब क्रमश 34–00, 61–03 बीघा कुल रकबा 93–03 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है जिसमे प्रार्थी का कब्जा कास्त है तथा प्रार्थी का रहवासी घर बना हुआ है , तथा प्रार्थी वर्तमान मे निवास करता है , नकल जंमाबंदी व नक्शा की फोटो प्रमाणित प्रति साथ पेश है ।

3. कि प्रार्थी का उपरोक्त खेत खसरान की भूमि मे काबिज है तथा जिसमे प्रार्थी के घर टांका व पशु बाडा बना हुआ है । तथा प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर लगातार काश्त करता आ रहा है ।

4. कि अर्सा आज से 15 दिन पुर्व प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर वर्षालु काश्त करने गये तो विप्रार्थीगण ने प्रार्थी को काश्त करने से रोका ओर कहा की हम विप्रार्थीगण संख्या बल मे अधिक व पहुच वाले है । हम उक्त खसरा की सम्पुर्ण भूमि पर काश्त कर लेगे हम आपके कब्जा सुदा भूमि मे जबरदस्ती अरण्डी , बोयेगे आपको उक्त भूमि के अन्दर नही आने देगे । प्रार्थी ने कहा की मै मेरे हिस्से पर वर्षो से काबिज हूँ तथा हमारे पुर्वजो का मौके पर बहामी बंटवारा किया हुआ है । उसी अनुसार मै काश्त कर रहा हूँ आप अपने हिस्से मे काश्त करो लेकिन वर्तमान मे विप्रार्थीगण की नियत मे खोट पैदा हो गया ओर विप्रार्थीगण नाराज होकर आवेश मे आकर झगडा फसाद पर उतारू हो गये तथा तथा मेरे हिस्से की उपजाउ जमीन पर जबरन काश्त करने की धमकी दी तथा किसी अजनवी को बैचने की धमकी दी ऐसी स्थिति मे प्रार्थी तहसील गुडामालानी पटवार मण्डल मालपुरा के ग्राम हेमनगर के खेत खसरा नम्बर 149/3, 150/4 रकब क्रमश 34–00, 61–03 बीघा कुल रकबा 93–03 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ [illegible] र्थी की भूमि मे प्रतिवादीगण जबरन प्रवेश कब्जा काश्त मे [illegible] अजनवी को बेचान करना चाहते है इसलिऐ यह आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] पेश है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:28 IST
Reason: SelfAttested